न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
राजस्व अपील संख्याः 08/2021
दायर दिनांकः 23.03.2021
निर्णय दिनांक 07.01.2025

—: अनवान :—

मोहनसिंह पिता सोहनसिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी फरारा तहसील व जिला राजसमन्द **— अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द जिला राजसमन्द **— रेस्पोडेन्ट**

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द, प्रकरण संख्या 91/2020 सरकार बनाम मोहनसिंह, निर्णय दिनांक 16.09.2020 से व्यथित होकर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलान्ट

2— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01

:: निर्णय ::

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द, प्रकरण संख्या 91/2020 सरकार बनाम मोहनसिंह, निर्णय दिनांक 16.09.2020 से व्यथित होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का फरारा ने राजस्व ग्राम फरारा पटवार हल्का फरारा तहसील राजसमन्द की वर्तमान आराजी नम्बर 3526 रकबा 29—13 बीघा भूमि में से 2—10 दो बीघा दस बिस्वा भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण बताते हुए धारा 91 की कार्यवाही हेतु तहसीलदार के यहां रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर नोटिस प्रेषित किया और उसमें अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली के आदेश उसकी अनुपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्याय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं अपीलान्ट ने उक्त भूमि जो कि किस्म बिलानाम मगरी थी, उस पर काफी मेहनत कर भूमि को विकसित कर काश्त योग्य बनाया है और काफी मेहनत कर लागत लगाकर इस भूमि को फसल उगाने जैसी विकसित की है, ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ

न्यायालय जिला कलक्टर

न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है। इस भूमि पर अपीलार्थी द्वारा चारो तरफ पत्थर की दिवार बना कर मेहफुज किया हुआ है। वर्ष 2001 से पूर्व से इस जमीन पर कब्जा आधिपत्य होकर इस भूमि पर अपीलार्थी साधिकारपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है और भूमि को अपीलार्थी ने विकसित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को अतिक्रमी मानने में त्रुटि कारित की है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर पिछले 30 से अधिक वर्षों से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है और अपीलान्ट द्वारा फसल भी प्राप्त की जा रही है। इतने वर्षों से नियमित कब्जा आधिपत्य होने से अपीलार्थी उक्त भूमि नियमन कराने की पात्रता रखता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का लम्बा कब्जा आधिपत्य होने पर भी उक्त भूमि अपीलान्ट के नाम पर आवंटित/नियमन करने बाबत कोई आदेश पारित नहीं कर भारी विधिक भूल की है। अपीलान्ट का लम्बे समय से कब्जा आधिपत्य होकर अपीलान्ट द्वारा भूमि को लागत लगाकर विकसित किया गया है। अपीलान्ट उक्त भूमि अपने नाम पर आवंटित/नियमन कराने की पात्रता रखता है। फिर भी इस बिन्दू पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनन विचार नहीं किया है और प्रकरण को खारिज करने में भारी विधिक भूल की है। अपीलार्थी उक्त भूमि पर वैध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग एवं काश्त करने का अधिकार रखता है। उस परिस्थिति में जब अपीलार्थी 30 वर्षों से अधिक समय से मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग एवं काश्त करता चला आ रहा है। अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही कानूनन नहीं की जा सकती है। धारा 91 की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है और जहां भूमि का आवंटन अपीलार्थी के पक्ष में किया गया है उस संक्षिप्त कार्यवाही से उसे बेदखल करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम पदमावती के विनिश्चय में यही सिद्वान्त प्रतिपादित किया है। अपीलार्थी का नियमित कब्जा होने से उक्त भूमि को अपीलार्थी अपने नाम पर नियमन कराने का भी अधिकारी है। राज्य सरकार द्वारा बिलानाम भूमि पर नियमन करने हेतु परिपत्र कमांक–प–6 (7) राज–4/77/2 दिनांक 11/01/2008 में सिवाय चक भूमियों पर दिनांक 15/07/1994 तक कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने की जारी निर्देशों में नियमन की दिनांक 15/7/1994 से बढाकर दिनांक 1/1/2000 तक कर दिया गया है, इसके उपरान्त सन् 2000 से उक्त अवधि बढाकर 2018 प्रशासन गांवों के संग अभियान में राज्य सरकार द्वारा की जा चुकी है। अपीलार्थी का कब्जा 2001 से भी पूर्व का है और अपीलार्थी का मामला नियमन योग्य है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। प्रकरण में अपीलार्थी को आदेश पारित करने से पूर्व नोटिस ही तामील नहीं हुआ है। बिना नोटिस तामील के ही उक्त प्रकरण में आदेश पारित कर दिया गया है। नोटिस भी किसी हिम्मतसिंह को प्रदान करना बताया गया है और उसी के आदेशिका पर हस्ताक्षर करा दिये गये है जबकि हिम्मतसिंह का अपीलांट से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर दिये बगेर ही उक्त आलौच्य आदेश पारित किया है जो न केवल अवैद्य विधि विरुद्ध है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। विधि का यह सुस्पष्ट सिद्वान्त है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है यही प्राकृतिक न्याय का सिद्वान्त है लेकिन इस मामले में इसकी भी पालना नहीं की गई है। उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह छपे हुऐ परफोरमे में पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त पारित किया गया आदेश न्यायिक विवेक के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने जो आदेश उक्त मामले में पारित किया है वह केवल एक मात्र औपचारिकता है। आदेश में नोटिस की

न्यायालय जिला कलक्टर

तामील होना बताया है तथा अपीलार्थी का उपस्थित होना भी बताया है जबकि अपीलार्थी को कोई नोटिस ही प्राप्त नहीं हुआ है। इसी प्रकार आदेश में अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाने का भी उल्लेख किया गया है जो दोनो एक दूसरे के विपरीत है। यदि अपीलार्थी उपस्थित था और उसके द्वारा अतिक्रमण करना स्वीकार किया तो उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किया जाना किसी भी रूप में सम्भव नहीं है। उक्त निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को पूर्व में नहीं थीं जब अपीलार्थी को बेदखल करने आये तो निर्णय की जानकारी हुई इस पर दिनांक 05.03.2019 को नकल प्राप्त करने हेतु तहसील कार्यालय में उपस्थित हो नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो नकल अपीलार्थी को दिनांक 17.03.2021 को प्राप्त हुई। नकल प्राप्त होने पर अपीलार्थी को पूर्ण रूप से जानकारी हूई जिसके पश्चात् बिना किसी विलम्ब के शीघ्र अपील तैयार कर अपील प्रस्तुत की जा रही है जो जानकारी से अन्दर मियाद हैं उक्त प्रकरण के नोटिस अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हुए थे इस कारण से अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और उसे उक्त पारित आदेश की पूर्व में कोई जानकारी नहीं हुई है इसलिए जो भी विलम्ब हुआ वह जानकारी के अभाव में हुआ है। तारीख जानकारी से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है फिर भी जानकारी के अभाव में हुऐ विलम्ब को माफ करने के लिए मयाद माफी का धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि को अपीलान्ट के नाम पर आवंटित/नियमन करने के आदेश पारित फरमाये जावे ।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का फरारा ने राजस्व ग्राम फरारा पटवार हल्का फरारा तहसील राजसमन्द की वर्तमान आराजी नम्बर 3526 रकबा 29.13 बीघा भूमि में से 2.10 दो बीघा दस बिस्वा भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण बताते हुए धारा 91 की कार्यवाही हेतु तहसीलदार के यहां रिपोर्ट पेश की थी, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्याय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है। अपीलान्ट ने उक्त भूमि जो कि किस्म बिलानाम मगरी थी, उस पर काफी मेहनत कर भूमि को विकसित कर काश्त योग्य बनाया है और काफी मेहनत कर लागत लगाकर इस भूमि को फसल उगाने जैसी विकसित की है, ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है। इस भूमि पर अपीलार्थी द्वारा तरफ पत्थर की दिवार बना कर मेहफुज किया हुआ है। वर्ष 2001 से पूर्व से इस जमीन पर कब्जा आधिपत्य होकर इस भूमि पर अपीलार्थी

साधिकारपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है और भूमि को अपीलार्थी ने विकसित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को अतिक्रमी मानने में त्रुटि कारित की है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर पिछले 30 से अधिक वर्षों से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है और अपीलान्ट द्वारा फसल भी प्राप्त की जा रही है। इतने वर्षों से नियमित कब्जा आधिपत्य होने से अपीलार्थी उक्त भूमि नियमन कराने की पात्रता रखता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का लम्बा कब्जा आधिपत्य होने पर भी उक्त भूमि अपीलान्ट के नाम पर आवंटित/नियमन करने बाबत कोई आदेश पारित नहीं कर भारी विधिक भूल की है। अपीलान्ट का लम्बे समय से कब्जा आधिपत्य होकर अपीलान्ट द्वारा भूमि को लागत लगाकर विकसित किया गया है। अपीलान्ट उक्त भूमि अपने नाम पर आवंटित/नियमन कराने की पात्रता रखता है। फिर भी इस बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनन विचार नहीं किया है और प्रकरण को खारिज करने में भारी विधिक भूल की है। अपीलार्थी उक्त भूमि पर वैध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग एवं काश्त करने का अधिकार रखता है। उस परिस्थिति में जब अपीलार्थी 30 वर्षों से अधिक समय से मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग एवं काश्त करता चला आ रहा है। अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही कानूनन नहीं की जा सकती है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। प्रकरण में अपीलार्थी को आदेश पारित करने से पूर्व नोटिस ही तामील नहीं हुआ है। बिना नोटिस तामील के ही उक्त प्रकरण में आदेश पारित कर दिया गया है। नोटिस भी किसी हिम्मतसिंह को प्रदान करना बताया गया है और उसी के आदेशिका पर हस्ताक्षर करा दिये गये है जबकि हिम्मतसिंह का अपीलांट से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर दिये बगेर ही उक्त आलौच्य आदेश पारित किया है जो न केवल अवैद्य विधि विरुद्ध है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। विधि का यह सुस्पष्ट सिद्वान्त है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है यही प्राकृतिक न्याय का सिद्वान्त है लेकिन इस मामले में इसकी भी पालना नहीं की गई है। उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह छपे हुऐ परफोरमे में पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त पारित किया गया आदेश न्यायिक विवेक के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने जो आदेश उक्त मामले में पारित किया है वह केवल एक मात्र औपचारिकता है। आदेश में नोटिस की तामील होना बताया है तथा अपीलार्थी का उपस्थित होना भी बताया है जबकि अपीलार्थी को कोई नोटिस ही प्राप्त नहीं हुआ है। इसी प्रकार आदेश में अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाने का भी उल्लेख किया गया है जो दोनो एक दूसरे के विपरीत है। यदि अपीलार्थी उपस्थित था और उसके द्वारा अतिक्रमण करना स्वीकार किया तो उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किया जाना किसी भी रूप में सम्भव नहीं है। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि को अपीलान्ट के नाम पर आवंटित/नियमन करने के आदेश पारित फरमाये जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि पटवारी हल्का फरारा ने राजस्व ग्राम उरी के बिलानाम आराजी नम्बर 3526 रकबा 29–13 बीघा में से 2–10 बीघा भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण होने से अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट पेश की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया परन्तु जारी नोटिस की तामील अपीलांट को नही करवाई जाकर अन्य व्यक्ति को करवाई गई। नियत पेशी दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के आदेशिका पर भी अपीलांट के बजाय किसी अन्य व्यक्ति ने उपस्थित होकर उपस्थिति स्वरूप अपने हस्ताक्षर कर रखे है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने पारित निर्णय दिनांक 16.09.2020 में अपीलांट को उपस्थित बताकर, अपीलांट द्वारा अतिक्रमण स्वीकार किये जाने से अपीलांट के विरूद्ध बेदखली आदेश पारित किया। जिसकी अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा कायम फर्द बेदखली पर भी अपीलांट के हस्ताक्षर न होकर अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर अंकित हैं। उक्त अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नोटिस की समुचित तामील नही करवाई गई, न ही अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया व अपीलांट की अनुपस्थिति में व साक्ष्य सबूतों के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध बेदखली आदेश पारित किया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत हैं। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द के द्वारा दिनांक 16.09.2020 को पारित आदेश अपास्त किया जाता है। तथा प्रकरण तहसीलदार राजसमन्द को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित **(REMAND)** किया जाता हैं कि अपीलांट को शहादत, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का पुनः नियमानुसार निस्तारण कर निर्णय पृथक से लिखा जाना सुनिश्चित करें।

7/1/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 07.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद